

## हरियाणा की नई आबकारी नीति

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने [नरिवाचन आयोग](#) से मंजूरी मलिनने के बाद वर्ष 2024-25 के लिये एक नई आबकारी नीतिको अपनी मंजूरी दे दी।

### मुख्य बढि:

- 12 जून से शुरू होने वाली नई नीतिमें **इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL)** और **देशी शराब** पर **एक्साइज़/आबकारी शुल्क** में मामूली बढोतरी होगी।
- मुख्यमंत्री नायब सहि सैनी** की अध्यक्षता में यहाँ कैबिनेट की बैठक हुई।
- वर्ष 2024-25 के लिये **IMFL** का अधिकतम बेसकि कोटा **700 लाख प्रूफ लीटर** (माप इकाई) और देशी शराब के लिये **1,200 लाख प्रूफ लीटर** होगा।
- IMFL और देशी शराब के लिये वर्ष 2023-24 में शुरू की गई **QR कोड-आधारति ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली** का वसितार आयातति वदिशी शराब तक भी कयिा जाएगा।
- नई नीतिमें रटिल दुकानों की अधिकतम संख्या वही रहेगी। **ई-नीलामी** में भाग लेने के इच्छुक कसिी भी व्यक्तीको **आधार कार्ड** या **परिवार पहचान-पत्र**, पछिले तीन मूल्यांकन वर्षों के लिये **आयकर रटिरन** प्रस्तुत करना होगा और उसकी न्यूनतम कुल संपत्ति **60 लाख रुपए** होनी चाहयिे।
- चूँकि भौजूदा **लोकसभा चुनाव** के मद्देनज़र **आदर्श आचार संहति** लागू है, इसलिये नीतिपर नरिणय लेने से पूरव नरिवाचन आयोग की मंजूरी ली गई थी।

### आदर्श आचार संहति (Model Code of Conduct)

- MCC एक **सर्वसम्मत दस्तावेज़** है। राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नरिंत्रति रखने और संहति के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं।
- यह चुनाव आयोग को संवधान के **अनुच्छेद 324** के तहत दयिे गए **जनादेश** को ध्यान में रखते हुए मदद करता है, जो उसे संसद और राज्य वधिानमंडलों के लिये **संवतंत्र तथा नषिपकष चुनावों** की नगिरानी एवं संचालन करने की शक्ति प्रदान करता है।
- MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परणाम की घोषणा की तारीख तक लागू रहता है।
- संहति लागू रहने के दौरान सरकार कसिी वत्तितीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती, सड़कों या अन्य सुवधिओं के नरिमाण का वादा नहीं कर सकती और न ही सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नयिुक्तीकर सकती है।

### आयकर रटिरन

- आयकर:** आयकर एक वत्तितीय वर्ष में अरजति कसिी व्यक्तीया व्यवसाय की वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर है।
  - भारत में आयकर प्रणाली **आयकर अधनियम, 1961** द्वारा शासति होती है और यह एक प्रत्यक्ष कर है।
- आयकर रटिरन:** यह एक नरिदषिट दस्तावेज़ है जसिका उपयोग कसिी वत्तितीय वर्ष में कसिी व्यक्तीकी आय और उस आय पर भुगतान कयिे गए करों के वषिय में आयकर वभिाग को वविरण देने के लिये कयिा जाता है।
  - इसके अतरिकित, यह फॉर्म लोगों को हुए नुकसान को दर्शाने तथा आयकर वभिाग से रफिंड का दावा करने की सुवधि भी देता है।